

प्रतिलिपि आदेश दिनांक 27-12-18 पारित द्वारा अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर प्रकरण क्रमांक विविध/4939/2018/धार/भू.रा. विरुद्ध आदेश दिनांक 25-6-18 पारित द्वारा अपर आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर प्र.क्र. 0024/विविध/17-18 (पुनर्विलोकन अनुमति बाबत)

मध्यप्रदेश शासन

विरुद्ध

प्रताप सिंह पिता अमर सिंह राजपूत  
निवासी- ग्राम गोगावा तह. मनावर  
जिला धार व अन्य

.....आवेदकपक्ष

.....अनावेदकपक्ष

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक विविध 4939/2018/धार/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-12-2018	<p>आवेदक शासन की ओर से श्री एस.एस. धाकड़, शासकीय अभिभाषक उपस्थित । अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से श्री ओ.पी. शर्मा, अभिभाषक उपस्थित । अनावेदक क्रमांक 2 मोतीबाई द्वारा सूचना उपरांत भी अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है । अपर आयुक्त के प्रस्ताव का अवलोकन किया गया । प्रस्ताव अनुसार अपर आयुक्त को पुनर्विलोकन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर विधि अनुसार प्रकरण का निराकरण करें ।</p>	<p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> अध्यक्ष</p>

*[Signature]*  
21/3/